



The Rajasthan Rehabilitation of Beggars or
Indigents Act, 2012

Act 36 of 2012

Keyword(s):

Rehabilitation of Beggars, Beggars, Begging, Child, District Level Committee, Indigent, Rehabilitation Home, Rehabilitation Officer, Recognized Service Organization, State Advisory Board

Amendment append: 13 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 25, शुक्रवार, शाके 1934—नवम्बर 16, 2012
Kartika 25, Friday, Saka 1934—November 16, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 16, 2012

संख्या प. 2 (29) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 नवम्बर, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम संख्यांक 36)**

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 नवम्बर, 2012 को प्राप्त हुई]

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर नियत करे और ऐसे क्षेत्र में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, प्रवृत्त होगा और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए इस प्रकार भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "भिक्षावृत्ति" से अभिप्रेत है,-

- (i) किसी लोक स्थान में प्रपीड़नपूर्वक भिक्षा उद्घापित करना या इसी प्रयोजन के लिए, चाहे किसी भी बहाने से, किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना,
- (ii) भिक्षा उद्घापित करने के उद्देश्य से स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के या पशु के किसी व्रण, घाव, क्षति, अंगविकार या रोग को अभिदर्शित या प्रदर्शित करना,
- (iii) भिक्षा उद्घापित करने के प्रयोजनों के लिए प्रदर्श के रूप में स्वयं का उपयोग करने देना:

परन्तु भिक्षा की याचना करना भिक्षावृत्ति की कोटि में नहीं आयेगा यदि वह न्यूसेंस न होते हुए, प्रथा या धर्म द्वारा यथास्वीकृत किसी धार्मिक वचन या बाध्यता के निष्पादन के लिए हो या किसी सामान्य, प्राकृतिक या धार्मिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो:

परन्तु यह और कि प्राकृतिक आपदाओं या किसी स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल के दौरान या स्थानिकमारीजनित भूख या किसी भी प्रकार की रुग्णता के मामलों में मदद या सहायता मांगना प्रपीड़नपूर्वक भिक्षा उद्घापित करने की कोटि में नहीं आयेगा:

परन्तु यह भी कि जनता के मनोरंजन के लिए नाचना या गाना या प्रतिफल के बदले करतब दिखाना या भविष्य बताना भिक्षावृत्ति की कोटि में नहीं आयेगा:

परन्तु यह भी कि भिक्षावृत्ति पर जीवन-यापन करने वाले साधुओं, संन्यासियों, फकीरों द्वारा उनके धर्म द्वारा प्राइवेट परिसरों में यथा अनुज्ञात भिक्षा की याचना करना भिक्षावृत्ति की कोटि में नहीं आयेगा;

(ख) "बालक" से ऐसा व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अभिप्रेत है;

(ग) "आयुक्त" से, आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास या धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य

सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त या पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

- (घ) "जिला स्तरीय समिति" से धारा 20 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "निर्धन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भोजन, वस्त्र, आश्रय इत्यादि की कमी है या स्वयं का भरण-पोषण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित पर्याप्त साधन नहीं हैं;
- (च) "न्यूसेंस" से ऐसा कोई भी कार्य या अवैध लोप अभिप्रेत है जिससे किसी व्यक्ति या जनता को कोई क्षोभ, क्षति या खतरा कारित हो या कारित होने की संभावना हो;
- (छ) "लोक-स्थान" से सड़कों, फुटपथों, सड़क पार करने के स्थानों, लोक उद्यानों, बस स्टैण्डों, यात्री मोटर यानों, रेलवे प्लेटफार्मों, रेल के डिब्बों, लोक या रेलवे पुलों, अण्डरपासों, उपमार्गों, सरकारी कार्यालयों, न्यायालय परिसरों, धार्मिक पूजा के स्थानों, शैक्षिक संस्थाओं, लोक चिकित्सालयों, खेल के मैदानों, स्टेडियमों, सिनेमा हॉलों, पर्यटकों की रुचि के स्थानों को सम्मिलित करते हुए ऐसा कोई भी स्थान, जहां सामान्य जनता की पहुंच है, और ऐसा कोई भी अन्य स्थान जिसे आयुक्त या राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा लोक स्थान होना घोषित या विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;
- (ज) "पुनर्वास गृह" से भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के ग्रहण, भरण-पोषण, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण के लिए धारा 4 के अधीन राज्य सरकार या किसी मान्यताप्राप्त सेवा संगठन द्वारा स्थापित और संधारित कोई संस्था अभिप्रेत है;
- (झ) "पुनर्वास अधिकारी" से धारा 25 के अधीन पदाभिहित पुनर्वास अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ञ) "मान्यताप्राप्त सेवा संगठन" से ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है जिसे समाज की सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो और जो उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वेच्छया लगा हुआ हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस

अधिनियम के प्रयोजन के लिए इस रूप में मान्यता प्रदान की गयी हो;

- (ट) "राज्य सलाहकार बोर्ड" से धारा 15 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ठ) "अधीक्षक" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त पुनर्वास गृह का अधीक्षक अभिप्रेत है; और
- (ड) "स्वयंसेवक" से, किसी मान्यताप्राप्त सेवा संगठन का वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कोई कार्य इसके लिए संदाय किये बिना करता है और किसी दबाव के बिना अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) में परिभाषित किये गये समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं।

अध्याय 2

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास

3. **भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास.**-(1) इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना की तारीख से भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति नहीं करने के लिए मनाया जायेगा और उनके स्वयं के हित में स्व-रोजगार या नौकरी के लिए प्रशिक्षण के लिए या, जो वृद्ध और शिथिलांग हैं, उनके लिए ऐसे गृहों में आश्रय के लिए, पुनर्वास गृहों की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मनाया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसे मान्यताप्राप्त सेवा संगठन के स्वयंसेवकों द्वारा भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिए और पुनर्वास गृह में जाने के लिए प्रेरित किया जायेगा और यदि वह ऐसा चाहे तो, स्वयंसेवक उसको निकटतम पुनर्वास गृह तक अनुरक्षा में पहुंचायेंगे और यदि अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास भिक्षावृत्ति के सिवाय जीविका का कोई साधन नहीं है और वह पुनर्वास गृह में रहने का इच्छुक है तो वह तत्काल उसको विहित रीति से पुनर्वास गृह में भर्ती करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है और जिसके पास भिक्षा मांगने के सिवाय जीविका का कोई साधन नहीं है, वह भी स्वयं पुनर्वास गृह के अधीक्षक के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर सकेगा और, यदि अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति है तो वह उसको पुनर्वास गृह में भर्ती कर सकेगा।

(4) पुनर्वास गृह में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के रूप में भर्ती किये गये समस्त व्यक्तियों की विशिष्टियां विहित प्ररूप में संधारित रजिस्टर में अभिलिखित की जायेंगी।

(5) पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये व्यक्तियों के धन और मूल्यवान वस्तुओं सहित व्यक्तिगत सामान की प्रविष्टि, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, संधारित रजिस्टर में की जायेगी और ऐसा धन और मूल्यवान वस्तुएं संबंधित व्यक्ति को, जैसे ही और जब वह उस गृह को छोड़ता है, लौटायी जायेंगी।

(6) पुनर्वास गृह के प्रत्येक अंतःवासी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित पैमाने के अनुसार वास-सुविधा, भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) पुनर्वास गृह के समर्थ शरीर वाले और स्वस्थ अंतःवासियों को पुनर्वास गृह के दैनिक कार्यों, जैसेकि परिसर की सफाई, सह अंतःवासियों के लिए भोजन पकाना और बर्तन तथा वस्त्र इत्यादि धोने में लगाया जायेगा।

(8) आयुक्त द्वारा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए एक स्कीम बनायी जायेगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ऐसी स्कीम कार्यान्वित की जायेगी और ऐसी स्कीम में, किसी नियोक्ता के साथ स्व-रोजगार या नौकरी के व्यवहार के अन्वर्निवेशन के लिए उपबंध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, अंतःवासियों को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए या तो रोजगार प्राप्त करने में या व्यक्तिगत रूप से उनका अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में और बैंकों और अन्य संस्थाओं से माइक्रो-वित्त प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सकेगी।

(9) अधीक्षक, पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये किसी भिखारी या किसी निर्धन व्यक्ति के निकट संबंधियों, यदि कोई हों, को, जहां तक हो

सके शीघ्र सूचित करेगा और उसके संपूर्ण अभिलेख की एक प्रति उस क्षेत्र के पुनर्वास अधिकारी को सूचना के लिए भेजेगा।

अध्याय 3

पुनर्वास गृह

4. पुनर्वास गृहों की स्थापना और संधारण.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इतने पुनर्वास गृह स्थापित और संधारित करेगी जितने भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के ग्रहण, भरण-पोषण, उपचार, प्रशिक्षण, शिक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक हों।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संधारित कोई भी पुनर्वास गृह भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समुचित ग्रहण, भरण-पोषण, प्रशिक्षण, शिक्षा, के लिए व्यवस्था करेगा और राज्य सरकार इसके लिए एक पृथक् स्कीम तैयार करेगी।

5. पुनर्वास गृह की मान्यता.- (1) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, मान्यताप्राप्त सेवा संगठन द्वारा स्थापित और संधारित पुनर्वास गृहों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार, मान्यताप्राप्त सेवा संगठन द्वारा भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के लिए स्थापित किये जाने वाले पुनर्वास गृहों की स्थापना और संधारण के लिए मानदण्ड और मानक विहित करेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति या सेवा संगठन, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के लिए, इस धारा या तदधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के प्रतिकूल कोई पुनर्वास गृह स्थापित और/या संधारित नहीं करेगा और नहीं चलायेगा:

परन्तु जहां शिकायत की गयी कमियां या व्यतिक्रम निराकरण योग्य हों और उन्हें ठीक किया जा सकता हो, वहां राज्य सरकार, मान्यता समाप्त करने और पुनर्वास गृह चलाने के लिए दी गयी अनुज्ञा वापस लेने के बजाय ऐसे सेवा संगठन को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर, व्यतिक्रम को ठीक करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और जब वह कमी या व्यतिक्रम ठीक कर दिया जाये और राज्य सरकार की यह राय हो कि उस कमी या व्यतिक्रम का निराकरण कर दिया गया है या उसे दूर कर दिया गया है तो वह तात्पर्यित कार्रवाई नहीं करेगी।

ऐसे मामलों में, जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर व्यतिक्रम को ठीक नहीं किया जाता, वहां सरकार, संबंधित पुनर्वास गृह के अंतःवासियों की समुचित देख-भाल करने की समुचित वैकल्पिक व्यवस्था करने के पश्चात् ही मान्यता समाप्त करने की तात्पर्यित कार्रवाई कर सकेगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी सेवा संगठन की मान्यता समाप्त करने का आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे संगठन को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

6. कतिपय मामलों के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध.- (1) कोई भी व्यक्ति या सेवा संगठन, भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के लिए, इस धारा और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई पुनर्वास गृह स्थापित और/या संधारित नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार, आयुक्त, जिला स्तरीय समितियों और स्वयंसेवकों के कृत्य और कर्तव्य विहित करते समय निम्नलिखित के लिए स्वष्ट रूप से उपबंध करेगी, -

- (क) उस क्षेत्र में, जहां भिखारियों को पुनर्वास गृहों में जाने के लिए प्रेरित कर के और ऐसे पुनर्वास गृहों में यथोचित प्रशिक्षण द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय करने के लिए उनको समर्थ बनाकर भिक्षावृत्ति नहीं करने के लिए मनाया जाना है, वहां गश्त या चौकसी और वार्ड ड्यूटी करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;
- (ख) वह रीति, जिससे भिक्षावृत्ति करते पाये गये व्यक्तियों का पुनर्वास किया जायेगा;
- (ग) वह रीति, जिससे भिक्षावृत्ति करते पाये गये व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति का कार्य नहीं करने के लिए मनाया जायेगा और निकटतम पुनर्वास गृह जाने के लिए मनाया और ले जाया जायेगा;
- (घ) आयुक्त और जिला स्तरीय समितियों के कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, साथ ही स्वयंसेवकों में और उन पर अनुशासनिक, पर्यवेक्षण शक्तियां और नियंत्रण; और

(ड) स्वयंसेवकों और जिला स्तरीय समितियों पर संपूर्ण नियंत्रण करने में आयुक्त, भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास की भूमिका।

7. पुनर्वास गृह का अनुशासन और प्रबंध.- (1) अधीक्षक, पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये व्यक्तियों के क्रियाकलापों का प्रबंध करेगा और उनमें अनुशासन बनाये रखेगा।

(2) किसी पुनर्वास गृह में भर्ती व्यक्ति, प्रबंध और अनुशासन के ऐसे नियमों के अधीन रहेंगे, जो समय-समय पर विहित किये जायें।

8. पुनर्वास गृहों में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को रखने की अवधि.-किसी पुनर्वास गृह में भर्ती किया गया प्रत्येक भिखारी या निर्धन व्यक्ति, यदि,-

(क) वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो तब तक वहां रह सकता है जब तक कि यथोचित प्रशिक्षण और अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए साधन उपलब्ध कराने के पश्चात् उसका पुनर्वास न कर दिया गया हो या जब तक कि धारा 11 के अधीन उसे बाहर जाने के लिए अनुमति न दे दी गयी हो;

(ख) वह शारीरिक रूप से शिथिलांग, अंधा, विकलांग या आजीविका कमाने में अन्यथा असाध्य रूप से असहाय हो तो वह पुनर्वास गृह में अनिश्चित कालावधि तक, या जब तक कि कोई परोपकारी संस्था स्वेच्छया उसकी देखभाल करने का भार स्वीकार न कर ले, या कोई अन्य व्यक्ति, जो उससे संबंधित हो या न हो, स्वेच्छया उसकी देख-भाल करने का भार स्वीकार न कर ले, रह सकेगा।

9. एक पुनर्वास गृह से दूसरे में स्थानांतरण.- आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, किसी व्यक्ति को राज्य में एक पुनर्वास गृह से दूसरे पुनर्वास गृह में स्थानान्तरित करने का आदेश दे सकेगा।

10. अनुपस्थिति की छुट्टी और अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्ति.- ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें,-

- (क) किसी पुनर्वास गृह का अधीक्षक, किसी भी समय, पुनर्वास गृह में रह रहे किसी व्यक्ति को 15 दिन से अनधिक की कालावधि के लिए, अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी मंजूर कर सकेगा;
- (ख) पुनर्वास अधिकारी, पुनर्वास गृह में रह रहे किसी व्यक्ति को, किसी भी समय, पुनर्वास गृह से साठ दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी मंजूर कर सकेगा; और
- (ग) आयुक्त, ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय, ऐसी किसी भी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझे, अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी मंजूर कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को अनुपस्थित रहने की छुट्टी केवल तब ही मंजूर की जायेगी जब ऐसी छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ऐसा व्यक्ति, जब उसे पुनर्वास गृह से अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी पर जाने की अनुमति दी जाये तो भिक्षावृत्ति नहीं करेगा।

11. पुनर्वास गृह को स्थायी रूप से छोड़ना.- ऐसा कोई भी वयस्क व्यक्ति, जिसे पुनर्वास गृह में भर्ती किया गया है और उसमें रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और आजीविका अर्जित करने के लिए यथोचित प्रशिक्षण और साधन उपलब्ध करा दिये गये हैं, यह लिखित परिवचन देने के पश्चात् कि वह राज्य में कहीं भी भिक्षावृत्ति नहीं करेगा, वहां से बाहर जाने या स्थायी रूप से छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

अध्याय 4

सेवा संगठन

12. सेवा संगठनों की मान्यता.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त की सिफारिश पर, और राज्य सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे किसी भी सेवा संगठन को मान्यता प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे सेवा संगठनों की मान्यता के प्रयोजन के लिए, जिन्होंने ऐसे क्षेत्रों में, जहां भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों की दशा को उनके पुर्नवास के माध्यम से सुधारा जाना है, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए कार्य करने की क्षमता या इच्छा व्यक्त या प्रदर्शित की है, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, रोस्टर का संधारण करेगी।

(3) राज्य सरकार, किसी सेवा संगठन को मान्यता प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे संगठन के पास भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान और साधन उपलब्ध हैं।

13. सेवा संगठन के कृत्य.- सेवा संगठन, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

14. स्वयंसेवक.- (1) सेवा संगठन के सभी स्वयंसेवक जिला स्तरीय समिति के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन रहेंगे।

(2) सेवा संगठन के स्वयंसेवकों को, समनुदेशित किये जाने वाले कार्य के लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के अलावा, सेवोन्मुखता और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता का अन्तर्निवेशन करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(3) कम से कम तीस प्रतिशत स्वयंसेवक महिलाएं होंगी।

(4) सेवा संगठन के स्वयंसेवकों को ऐसा मानदेय, भत्ते और अन्य परिलब्धियां संदत्त की जायेंगी, जैसीकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।

अध्याय 5

राज्य सलाहकार बोर्ड

15. राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक संसद-सदस्य, सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक विधान सभा सदस्य, सदस्य;
- (घ) मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी, सदस्य;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा, विख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं में से नामनिर्देशित किये जाने वाले चार व्यक्ति, जिनमें से दो महिलाएं होंगी, सदस्य;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो जिला प्रमुख, जिनमें से एक महिला होगी, सदस्य;
- (छ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी शासन सचिव, सदस्य-सचिव; और
- (ज) आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास, सदस्य।

(3) खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक महिला होगी।

16. राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें.- (1) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(2) नामनिर्देशित सदस्य किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होंगे, तथापि वे बैठकों में उपस्थित होने में उनके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान पर होगी, जैसाकि राज्य सरकार निदेश दे।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड की गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, प्रक्रिया, ऐसी रीति से विनियमित की जायेगी, जो विहित की जाये।

(5) राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही, बोर्ड में मात्र कोई रिक्ति होने के या इसके गठन में किसी त्रुटि के या राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया में किसी ऐसी अनियमितता के कारण जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो, अविधिमान्य नहीं होगी।

(6) राज्य सलाहकार बोर्ड-

- (क) साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण और क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देगा;
- (ख) विशेष रूप से, सेवा संगठन की मान्यता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देगा;
- (ग) पुनर्वास गृहों के प्रबंध का पर्यवेक्षण करेगा और भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक मार्गोपायों के बारे में भी सुझाव देगा;
- (घ) ऐसे क्षेत्रों और उपायों के बारे में सुझाव देगा जिनमें भिखारियों को भिक्षावृत्ति नहीं करने के लिए मनाया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके ताकि उनकी दशा को सुधारा जा सके और इस प्रकार अंत में राज्य को भिखारियों से मुक्त बनाया जा सके; और
- (ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

17. राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र.- राज्य सलाहकार बोर्ड का नामनिर्देशित सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित नोटिस द्वारा सूचित कर के अपना पद त्याग सकेगा।

18. राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्य का हटाया जाना.- (1) राज्य सरकार, ऐसे किसी भी नामनिर्देशित सदस्य को पद से हटा सकेगी जो-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो चुका हो; या
- (ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो; या

- (ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या
- (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या
- (ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया हो।
- (2) नामनिर्देशित सदस्य को उसके पद से हटाने से पूर्व सुनवाई

का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

19. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.- राज्य सलाहकार बोर्ड की सदस्यता में किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने से या उस हैसियत में परिवर्तन से, जिसमें वह नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया था, होने वाली रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा यथा संभव शीघ्र भरा जायेगा।

अध्याय 6

जिला स्तरीय समिति

20. जिला स्तरीय समितियों का गठन.- (1) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियां गठित करेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति नौ से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विहित किये जायें।

21. गैर-सरकारी सदस्यों को भत्ते.- जिला स्तरीय समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को, पुनर्वास गृहों पर जाने के लिए ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता और जिला स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे दैनिक भत्ते अनुज्ञात किये जायेंगे, जो विहित किये जायें।

22. जिला स्तरीय समिति के कृत्य.- (1) जिला स्तरीय समिति पुनर्वास गृहों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगी।

(2) जिला स्तरीय समिति की, उन पुनर्वास गृहों में, जहां भिखारी या निर्धन व्यक्ति रखे गये हैं, निर्बाध पहुंच होगी और वह पुनर्वास गृहों के कार्यक्रम की जांच करेगी, पायी गयी कमियों पर अपनी टिप्पणियां देगी, पुनर्वास गृहों के अंतःवासियों की शिकायतों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्टें पुनर्वास अधिकारी को भेजेगी।

23. जिला स्तरीय समितियों की बैठक.- जिला स्तरीय समितियाँ की, प्रत्येक तीन मास में या जब कभी आवश्यक हो तो इससे पूर्व, कम से कम एक बार बैठक होगी जिसमें मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों को भी आमंत्रित किया जायेगा। ऐसी बैठकों में, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के लिए संधारित पुनर्वास गृहों की कार्यदशाओं पर, साथ ही पुनर्वास गृह के गृहवासियों की शिकायतों पर, यदि कोई हो, विचार विमर्श किया जायेगा और शिकायतों के निराकरण के लिए उपचारिक उपायों के सुझाव दिये जा सकेंगे। बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति पुनर्वास अधिकारी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जायेगी।

अध्याय 7

अधिकारी

24. आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास.-(1) राज्य सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

(2) ग्रहण, भरण पोषण, उपचार, प्रशिक्षण, शिक्षा इत्यादि को सम्मिलित करते हुए, पुनर्वास गृह को चलाने और संधारित करने के संबंध में आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास, और इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी की, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो इस अधिनियम में उपबंधित किये गये हों या जो विहित किये जायें।

(3) आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का संपूर्ण राज्य स्तरीय समन्वयक होगा और उनके पर्यवेक्षण, नियंत्रण और

निदेशन के लिए उत्तरदायी होगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

25. पुनर्वास अधिकारी.- (1) राज्य सरकार, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को पुनर्वास अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

(2) पुनर्वास अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या तदधीन बनाये गये नियमों में विहित की गयी हैं।

26. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.- (1) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

अध्याय 8

राजस्थान भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों की कल्याण निधि

27. राजस्थान भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों की कल्याण निधि.- (1) राज्य सरकार एक निधि गठित करेगी जिसका नाम राजस्थान भिखारियों और निर्धन व्यक्ति की कल्याण निधि होगा।

(2) निम्नलिखित राशियां इस निधि में जमा की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी कोई राशि;

(ख) निगमित निकायों, सोसाइटियों या व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा दान की गयी राशियां; और

(ग) कोई अन्य राशि, जो इस निधि में जमा किये जाने के लिए विहित की जाये।

(3) यह निधि विहित रीति से विनिहित और प्रशासित की जायेगी।

28. दान प्राप्त करने की रीति.- वे प्राधिकारी जिनके द्वारा, और वह रीति, जिससे दान प्राप्त किये जा सकेंगे, ऐसी होगी जो विहित की जाये।

29. निधि के लेखे और संपरीक्षा.- (1) निधि के लेखे ऐसी रीति से संधारित किये जायेंगे, जो विहित की जाये।

(2) निधि के लेखे, आयुक्त द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

30. भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के कल्याण के लिए निधि में से धन का उपयोग में लिया जाना.- राजस्थान भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों की कल्याण निधि में जमा किया गया धन, इस अधिनियम के अधीन और अनुसार और ऐसी रीति से, जो आगे विहित की जाये, भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

अध्याय 9

विविध

31. भिखारियों का सर्वेक्षण.- (1) आयुक्त, राज्य में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य के विभिन्न भागों में भिक्षावृत्ति में लगे हुए व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण करवायेगा और राज्य में अन्तरराज्यीय भिखारियों या प्रवासी भिखारियों की अस्थायी जनसंख्या या उनके समूहों के आंकड़े एकत्र करेगा या करवायेगा।

(2) भिखारियों का सर्वेक्षण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

32. सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए फोटो और अंगुली छाप लेना.- इस अधिनियम के अधीन पुनर्वास गृह में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए, पुनर्वास गृह के अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अधिकारी द्वारा अपना फोटो और अंगुली छाप लेने देगा।

33. भिखारी या निर्धन व्यक्ति के संबंधियों से भरण पोषण के लिए आदेश प्राप्त करना.- जब कभी भी पुनर्वास अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर यह पाया जाये कि भिखारी या निर्धन व्यक्ति की उसके स्वयं के अधिकार में कोई संपत्ति है या वह किसी संपत्ति में किसी हिस्से का हकदार है या उसके ऐसे संबंधी हैं जो विधिक रूप से उसके भरण-पोषण के लिए आबद्ध हैं और जो उसके भरण-पोषण की जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हैं और इस प्रकार उसे भिक्षावृत्ति करनी पड़ रही है तो, यदि वह भिखारी माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक हो, तो पुनर्वास अधिकारी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम सं.56) के अधीन गठित अधिकरण से भरण-पोषण के लिए आदेश प्राप्त कर सकेगा।

34. भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के आश्रित व्यक्ति.- जब कोई व्यक्ति पुनर्वास में रखा जाता है तो पुनर्वास गृह का अधीक्षक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित है, ऐसे पुनर्वास गृह में रखे जाने के लिए अनुमति दे सकेगा।

35. ऐसे भिखारी के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही की जाये जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कुष्ठरोगी है.- जहां पुनर्वास गृह के अधीक्षक या किसी पुनर्वास अधिकारी को, राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रथमदृष्ट्या या सरसरी तौर पर चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि पुनर्वास गृह में भर्ती करने के लिए उसके समक्ष लाया गया भिखारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कुष्ठरोगी है तो वह ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास गृह में रखने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं.14) या कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम सं.3) के उपबंधों के अनुसार मनो-चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में रखे जाने के लिए समुचित कदम उठायेगा।

36. परोपकारी संस्थाओं द्वारा निर्धन व्यक्तियों की देख-भाल.- राज्य सरकार, किसी परोपकारी संस्था को, पुनर्वास गृह के किसी अंतःवासी की देख-भाल का जिम्मा लेने के लिए, तब अनुज्ञात कर सकेगी जब कभी भी ऐसी कोई संस्था ऐसे व्यक्तियों को रखने और उनकी देखभाल

करने का भार स्वेच्छया स्वीकार करती है और राज्य सरकार यह समझती है कि ऐसी संस्था उपयुक्त है और वह संस्था ऐसा परिवचन निष्पादित करे, जिससे वह स्वयं को उन गृहवासियों की वास-सुविधा, भोजन, वस्त्र और चिकित्सीय देख-भाल के लिए उत्तरदायी बनाये, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये।

37. अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों का लोक सेवक होना.- इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त समस्त अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

38. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (1) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा धारा 41 के अधीन की शक्ति से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसीकि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, आयुक्त द्वारा भी प्रयोग की जायेगी।

(2) आयुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसीकि आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जायेगी ।

39. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण.- राज्य सरकार या आयुक्त या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

40. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस

अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

41. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा -

(क) विशिष्टियां, जो धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रों में अन्तर्विष्ट और संधारित की जायेंगी;

(ख) धारा 3 की उप-धारा (8) के अधीन प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए स्कीम;

(ग) धारा 20 के अधीन गठित की जाने वाली जिला स्तरीय समिति में सम्मिलित किये जाने वाले सदस्य;

(घ) धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) आयुक्त द्वारा धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन जिम्मा लिये जाने वाले कृत्य और प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; मान्यताप्राप्त सेवा संगठन के पर्यवेक्षण, उस पर नियंत्रण और निदेशन के मामलों में; और

(च) अन्य कोई भी मामला, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट

हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

42. निरसन.- जयपुर प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट, 1947 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, November 16, 2012

No. F. 2 (29) Vidhi/2/2012.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Bhikhariyon ya Nirdhan Vyaktiyon ka Punarvas Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 36):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN REHABILITATION OF BEGGARS OR
INDIGENTS ACT, 2012
(Act No. 36 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 9th day of November, 2012]

An

Act

to provide for the rehabilitation of beggars or indigents and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER – I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012.

(2) It shall extend to whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, from time to time appoint and in such area as may be specified in the notification and different dates may be so appointed for different areas.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the subject or the context otherwise requires,-

(a) “begging” means,-

(i) coercively extorting alms in a public place or entering into any private premises for the same purpose of coercively extorting alms, whether under any pretence,

(ii) exposing or exhibiting with the object of extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of himself or any other person or of an animal,

(iii) allowing oneself to be used as an exhibit for the purposes of extorting alms:

Provided that soliciting alms shall not amount to begging if it is in performance of any religious vow or obligation as sanctioned by custom or religion without being a nuisance or permissible under any common, natural or religious law:

Provided further that asking for help and assistance during natural calamities or any physical

emergency or in cases of endemic hunger or illness of any sort shall not amount to coercive extortion of alms:

Provided also that dancing or singing for entertainment of the public or performing tricks or fortune-telling for consideration shall not amount to begging:

Provided also that soliciting alms by *Sadhus, Sanyasis, Faqirs*, living on *Bhikshavriti* as permitted by their religion in private premises shall not amount to begging;

- (b) “Child” means a person who has not attained the age of 18 years;
- (c) “Commissioner” means the Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents or any officer appointed or designated as such by the State Government under sub-section (1) of section 24;
- (d) “District Level Committee” means the District Level Committee constituted under section 20;
- (e) “indigent” means a person lacking food, clothing, shelter etc. or not having sufficient means as determined by the State Government from time to time, to maintain himself;
- (f) “nuisance” means any act or illegal omission by which annoyance, injury or danger is caused or is likely to be caused to any person or to the public;
- (g) “public place” means any place where general public may have access including roads, footpaths, road crossings, public gardens, bus stands, passenger motor vehicles, railway platforms, railway compartments, public or railway bridges, underpasses, subways, government offices, court premises, places of religious worship, educational institutions, public hospitals, playgrounds, stadiums,

cinema halls, places of tourist interest and any other such place as the Commissioner or the State Government may declare or specify by order published in the Official Gazette;

- (h) “Rehabilitation Home” means any institution established and maintained by the State Government or a recognized service organization for reception, maintenance, treatment, education, training to beggars or indigents under section 4;
- (i) “Rehabilitation Officer” means the Rehabilitation Officer designated under section 25;
- (j) “Recognized service organization” means an organization established with the object of serving the society and voluntarily engaged in achieving the said object and which may be recognized as such by the State Government for the purpose of this Act;
- (k) “State Advisory Board” means the State Advisory Board constituted under section 15;
- (l) “Superintendent” means the Superintendent of a Rehabilitation Home established or recognized under this Act; and
- (m) “Volunteer” means the person of a recognized service organization who does a job without being paid for it and offers his services without being forced to do it.

(2) All words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall have the meanings assigned to them in that Code.

CHAPTER - II

Rehabilitation of Beggars or Indigents

3. Rehabilitation of beggars or indigents.- (1) As from the date of publication of notification under sub-section (3) of

section 1 of this Act, the beggars or indigents shall be dissuaded from indulging in begging and be persuaded to avail the facility of Rehabilitation Homes in their own interest for undergoing training for self-employment or job or for shelter at such Home for those who are old and infirm.

(2) If any person is found begging within the area notified under sub-section (3) of section 1 of this Act, he shall be persuaded by the volunteers of the recognized service organization to desist from begging and to go to the Rehabilitation Home and if he so desires the volunteers shall escort him to the nearest Rehabilitation Home and if the Superintendent is satisfied that the person has no source of living except begging and is willing to live in the Rehabilitation Home, he shall forthwith admit him to the Rehabilitation Home in the prescribed manner.

(3) Any person who is an indigent and has no source of living and has no choice except to seek alms, may also present himself before the Superintendent of the Rehabilitation Home and, if the Superintendent is satisfied that the person is an indigent, he may admit him to the Rehabilitation Home.

(4) The particulars of all persons admitted to the Rehabilitation Home as beggars or indigents shall be recorded in a register maintained in such form as may be prescribed.

(5) Any personal belongings including money and valuables of the persons admitted to the Rehabilitation Home shall be entered in a register maintained in such a form as may be prescribed and such money and valuables shall be returned to the concerned person as and when he leaves the Home.

(6) Every inmate of the Rehabilitation Home shall be provided accommodation, food and clothing as per scales determined by the State Government from time to time.

(7) All able bodied and healthy inmates of the Rehabilitation Home shall be engaged in the routine works of the upkeep of the Rehabilitation Home such as cleaning the premises,

cooking food for fellow inmates and washing of utensils and clothes etc.

(8) A scheme for training and rehabilitation shall be formulated by the Commissioner and such scheme shall be implemented after prior approval of the State Government and such scheme should provide for inculcating the attitude of self-employment or job with any employer. For this purpose inmates may be encouraged to start collective ventures and for that purpose they may be assisted in either securing employment or individually starting their own vocation and seeking micro-finance from banks or other institutions.

(9) The Superintendent shall inform the near relatives, if any, of a beggar or an indigent admitted to the Rehabilitation Home, as early as practicable and send a copy of his entire record to the Rehabilitation Officer of the area for information.

CHAPTER - III

Rehabilitation Home

4. Establishment and maintenance of Rehabilitation Homes.- (1) *The State Government shall, establish and maintain as many Rehabilitation Homes as may be necessary for the reception, maintenance, treatment, training, education and rehabilitation of beggars or indigents for purposes of this Act.*

(2) *Any Rehabilitation Home established and maintained by the State Government shall provide for the proper reception, maintenance, treatment, training, education for the rehabilitation of beggars or indigents and the State Government shall prepare a separate scheme for the same.*

5. Recognition of Rehabilitation Home.- (1) Subject to the conditions as may be prescribed, Rehabilitation Home established and maintained by recognized service organization, may be recognized by the State Government.

(2) The State Government shall prescribe norms and standards for establishment and maintenance of Rehabilitation

Homes to be established by recognized service organization for beggars or indigents.

(3) No person or service organization shall establish and / or maintain and run any Rehabilitation Home for beggars or indigents contrary to the provisions contained in this section or the rules made thereunder:

Provided that where the deficiencies or defaults complained of are curable and can be remedied, the State Government instead of derecognizing and withdrawing the permission accorded for running the Rehabilitation Home, may allow such service organization to remedy the default within a specified time and when the deficiency or default is set right and the State Government is of the opinion that the deficiency or default has been cured or removed it may not resort to the purported action. In cases where default is not rectified within the time specified, it may take the purported action of derecognizing, but only after making suitable alternative arrangement for taking proper care of the inmates of the concerned Rehabilitation Home:

Provided further that before passing the order for de-recognition of any service organization, the State Government shall afford opportunity of hearing to such organization.

6. Specific provisions for certain matter.- (1) No person or service organization shall establish and/or maintain any Rehabilitation Home for beggars or indigents contrary to the provisions contained in this section or the rules made thereunder.

(2) The State Government while prescribing the functions and duties of the Commissioner, District Level Committees and the volunteers shall clearly provide for,-

- (a) guidelines for patrolling or watch and ward duty in the area where begging is to dissuaded by persuading the beggars to join Rehabilitation Homes and enabling them to take up alternative vocations by suitable training at such Rehabilitation Homes;
- (b) the manner in which the persons found begging are to be rehabilitated;

- (c) the manner in which persons found begging are dissuaded from the practice of begging and persuaded and taken to the nearest Rehabilitation Home;
- (d) guidelines for the working of the Commissioner and District Level Committees, as also the disciplinary, supervisory powers and control in and over the volunteers; and
- (e) the role of the Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents in exercising overall control over the volunteers and the District Level Committees.

7. Discipline and Management of Rehabilitation Home.- (1) The Superintendent shall manage the activities of the persons admitted to the Rehabilitation Home and maintain discipline amongst them.

(2) Persons admitted in a Rehabilitation Home shall be subject to such rules of management and discipline as may, from time to time, be prescribed.

8. Duration for retention of beggars or indigents in Rehabilitation Homes.- Every beggar or indigent admitted to a Rehabilitation Home, may, if,-

- (a) he is physically fit, stay there until he is not rehabilitated after suitable training and equipping him with means to earn his livelihood or until he is allowed to exit under section 11;
- (b) he is physically infirm, blind, handicapped or otherwise incurably helpless to earn his living, remain in a Rehabilitation Home for indefinite period or until some philanthropic institution volunteers to take care of him or some other person, related to him or not, volunteers to take care of him.

9. Transfer from one Rehabilitation Home to another.- Subject to the conditions as may be prescribed, the

Commissioner may order for transfer of any person from one Rehabilitation Home to another Rehabilitation Home in the State.

10. Leave of absence and release on licence.- Subject to such conditions as may be prescribed,-

- (a) the Superintendent of a Rehabilitation Home at any time may grant leave to a person living in a Rehabilitation Home to absent himself for a period not exceeding 15 days for personal exigencies;
- (b) the Rehabilitation Officer may at any time grant leave to a person living in a Rehabilitation Home to absent himself for a period not exceeding 60 days; and
- (c) the Commissioner, may at any time grant leave of absence to such person for any period, as he deems fit:

Provided that leave of absence to any person under this section shall be granted only when the officer or authority granting such leave is satisfied that such person when allowed to proceed on leave of absence from the Rehabilitation Home shall not beg.

11. Leaving the Rehabilitation Home permanently.- Any adult person admitted to the Rehabilitation Home and registered therein and having equipped with suitable training and means to earn his livelihood shall have the liberty to exit or leave permanently therefrom after giving an undertaking in writing that he shall not indulge in begging anywhere in the State.

CHAPTER – IV

Service Organization

12. Recognition of Service Organization.- (1) The State Government may on the recommendation of the Commissioner, and after consultation with the State Advisory Board, recognized any service organization working for welfare and rehabilitation of beggars or indigents for the purposes of this Act.

(2) The State Government shall maintain a roster in the manner as may be prescribed for the purpose of recognition of

service organizations who have expressed or demonstrated the capability or desire to work for the purpose of rehabilitation of beggars and indigents in the areas where the plight of beggars or indigents is to be ameliorated through their rehabilitation.

(3) Before recognizing any service organization, the State Government shall ensure that such organization has ample space and means to carry out the task of rehabilitation of beggars or indigents.

13. Functions of Service Organization.- The service organization shall in respect of rehabilitation of beggars or indigents perform such functions as may be prescribed.

14. Volunteers.- (1) All the volunteers of service organization shall be subject to the control and supervision of District Level Committee.

(2) The volunteers of the service organization, shall be imparted training by the Department of Social Justice and Empowerment for inculcating service orientation and awareness about social issues besides physically and mentally preparing them for the task to be assigned.

(3) At least thirty per cent of the volunteers shall be women.

(4) The volunteers of the service organization shall be paid such honorarium, allowances and other perquisites as may be determined by the State Government from time to time.

CHAPTER – V

State Advisory Board

15. Constitution of State Advisory Board.- (1) The State Government shall, by notification, constitute a State Advisory Board for the purposes of this Act.

(2) The State Advisory Board shall consist of the following, namely:-

- (a) the Minister in-charge of Social Justice and Empowerment Department, Chairperson;
- (b) one Member of Parliament to be nominated by the State Government, Member;

- (c) one Member of Legislative Assembly to be nominated by the State Government, Member;
- (d) two persons to represent recognized service organizations to be nominated by the State Government, one of whom shall be a woman, Member;
- (e) four persons to be nominated by the State Government from amongst eminent social workers; two of whom shall be women, Member;
- (f) two Zila Pramukhs nominated by the State Government, one of whom shall be a woman, Member;
- (g) the Secretary to the Government in-charge of the Social Justice and Empowerment Department, Member-Secretary; and
- (h) the Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents, Member.

(3) Out of the members specified in clauses (b) and (c), one shall be a woman.

16. Term of office and other conditions of Members of State Advisory Board.- (1) *The term of office of nominated members shall be three years.*

(2) *The nominated members shall not be entitled to any allowances, however they shall be entitled to reimbursement of any expenditure incurred by them in attending the meetings.*

(3) *The State Advisory Board shall meet at least twice in a year at such place as the State Government may direct.*

(4) *The procedure including the quorum of the State Advisory Board shall be regulated in the manner as may be prescribed.*

(5) *No act or proceeding of the State Advisory Board shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy therein or any defect in the constitution thereof or any irregularity in the procedure of the State Advisory Board not affecting the merits of the case.*

- (6) *The State Advisory Board shall -*
- (a) *tender advice to the State Government, generally, on the working and implementation of the provisions of this Act;*
 - (b) *tender advice to the State Government, particularly in respect of recognition of service organization;*
 - (c) *oversee the management of Rehabilitation Homes and also suggest alternative ways and means for rehabilitation of beggars or indigents;*
 - (d) *suggest the areas and ways in which the beggars may be dissuaded from begging and rehabilitated so as to ameliorate their plight and thus making the State eventually free of beggars; and*
 - (e) *perform such other functions which the State Government may, from time to time, specify.*

17. Resignation by nominated Members of State Advisory Board.- The nominated Member of State Advisory Board may, by notice in writing under his hand address to the State Government resign his office.

18. Removal of nominated Member of State Advisory Board.- (1) The State Government may remove from office any nominated member who –

- (a) has been adjudged an insolvent ; or
- (b) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such nominated member of State Advisory Board ;
or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the nominated member of State Advisory Board ; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) The nominated member shall be given an opportunity of being heard before his removal from the office.

19. Filling up of emergent vacancies.- Any vacancy occurred in the membership of State Advisory Board due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the State Government.

CHAPTER – VI

District Level Committee

20. Constitution of District Level Committees.- (1) The Commissioner shall, constitute District Level Committees in every district for the purposes of this Act.

(2) The District Level Committee shall consist of members not exceeding nine as may be prescribed.

21. Allowances to non-official members.- *The non-official members of the District Level Committee shall be allowed such compensatory allowance for visiting the Rehabilitation Homes and daily allowances for attending meetings of the District Level Committee as may be prescribed.*

22. Functions of District Level Committee.- (1) The District Level Committee shall supervise the activities of Rehabilitation Homes.

(2) The District Level Committee shall, have free ingress into the Rehabilitation Homes where the beggars or indigents are lodged and look into the functioning of the Rehabilitation Homes, offer their comments into the deficiencies found, look into complaints of the inmates of the Rehabilitation Homes and send their reports to the Rehabilitation Officer.

23. Meeting of District Level Committee.- The District Level Committee shall meet at least once in every three months or earlier whenever necessary, in which recognized service organizations shall also be invited. In such meetings, the working conditions of Rehabilitation Homes maintained for the

rehabilitation of the beggars or indigents as well as grievances, if any, of the inmates of the Rehabilitation Homes shall be discussed and remedial measures for removal of the grievances, may be suggested. A copy of the proceedings of the meeting shall be sent to the Rehabilitation Officer for information and necessary action.

CHAPTER – VII

Officers

24. Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents.- (1) The State Government shall designate an officer of Indian Administrative Service or Rajasthan Administrative Service as Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents.

(2) The powers and duties of the Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents with respect to running and maintaining the Rehabilitation Homes including reception, maintenance, treatment, training, education etc. and of other officers appointed under this Act shall be such as are provided in this Act or as may be prescribed.

(3) The Commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents, shall be overall State Level Co-ordinator of the recognized service organizations for purposes of this Act and shall be responsible for supervision, control and direction of them and for that purpose, shall perform such functions and exercise such powers, as may be prescribed.

25. Rehabilitation Officer.- (1) The State Government shall designate an officer not below the rank of District Social Welfare Officer as Rehabilitation Officer.

(2) The Rehabilitation Officer shall discharge such functions and exercise such powers as are provided in this Act or are prescribed in the rules made thereunder.

26. Other officers and employees.- (1) *The State Government may appoint such other officers and employees as it may consider necessary for carrying out the purposes of this Act.*

(2) *The terms and conditions of service of the officers and employees appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.*

CHAPTER – VIII

Rajasthan Beggars and Indigents Welfare Fund

27. Rajasthan Beggars and Indigents Welfare Fund.-

(1) *The State Government shall constitute a Fund to be known as the Rajasthan Beggars and Indigents Welfare Fund.*

(2) *The following sums shall be credited to the fund, namely:-*

- (a) *any sum granted by the State Government;*
- (b) *sums donated by corporate bodies, societies or individual donors; and*
- (c) *any other sum, which may be prescribed to be credited to the Fund.*

(3) *The Fund shall be invested and administered in the prescribed manner.*

28. The manner of receiving donations.- The authorities by whom and the manner in which the donations may be received shall be such as may be prescribed.

29. Accounts and audit of the Fund.- (1) The accounts of the Fund shall be maintained in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Fund shall be audited by a Chartered Accountant appointed by the Commissioner.

30. Money out of the Fund to be utilized for the welfare of beggars and indigents.- The money credited to the Rajasthan Beggars and Indigents Welfare Fund shall be utilized for the welfare and rehabilitation of beggars and indigents under and in accordance with this Act and in a manner to be further prescribed.

CHAPTER – IX

Miscellaneous

31. Survey of Beggars.- (1) For the purposes of effective implementation of the process of rehabilitation of beggars or indigents in the State, the Commissioner shall cause to conduct a survey of the persons engaged in begging in various parts of the State and shall also collect or cause to be collected figures of floating populations or groups of inter-state beggars or migrant beggars in the State.

(2) The survey of beggars shall be conducted in such form and in the manner as may be prescribed by the State Government.

32. Taking photographs and finger prints for the purpose of survey.- Every person admitted in a Rehabilitation Home under this Act shall, for the purposes of survey under this Act, allow his photograph and finger prints to be taken by the Superintendent of Rehabilitation Home or any officer empowered by the State Government in this behalf.

33. Seeking of order for maintenance of beggar or indigent from relatives.- Whenever upon inquiry by the Rehabilitation Officer, it is found that the beggar or indigent have any property in his own right or is entitled to a share in any property or has relatives who are legally bound to maintain him and who wilfully neglect to maintain him thus causing him to beg, the Rehabilitation Officer may seek order for maintenance from the Tribunal constituted under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), if the beggar is a parent or a senior citizen.

34. Dependant of beggars or indigents.- When a person is kept in a Rehabilitation, the Superintendent of the Rehabilitation Home may, after making such inquiry as he thinks fit, allow any other person, who is wholly dependant on such person, to be kept in such a Rehabilitation Home.

35. A Beggar who is mentally ill or is a leper, how to be dealt with.- Where it appears to the Superintendent of Rehabilitation Home or a Rehabilitation Officer after getting due

prima facie or cursory medical examination done from a Government Medical Officer that the beggar brought before him for admission to the Rehabilitation Home is mentally unsound or leper, he may, instead of keeping such a person in the Rehabilitation Home take appropriate steps for confining such persons to Psychiatric Hospital or Lepers Asylum as per provisions of Mental Health Act, 1987 (Central Act No. 14 of 1987) or the Lepers Act, 1898 (Central Act No. 3 of 1898).

36. Care of indigents by philanthropic institutions.- The State Government may allow any philanthropic institution to undertake care of an inmate of a Rehabilitation Home whenever any such institution volunteers to keep and take care of such persons and the State Government considers such institution suitable and the institution executes an undertaking as the State Government may require, making itself responsible for housing, food, clothing, and medical care of those inmates.

37. Officers appointed under the Act to be public servants.- All officers appointed in pursuance of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

38. Delegation of Powers.- (1) The State Government may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act other than that under section 41 shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised also by the Commissioner.

(2) The Commissioner, may, by general or special order, direct that any power exercisable by him under this Act or the rules framed thereunder, shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by an officer subordinate to him duly appointed under this Act.

39. Protection of action taken in good faith.- No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or Commissioner or any other officer appointed for purpose of this Act in respect of anything which is in good faith done or intended

to be done in pursuance of this Act or any rules or orders made thereunder.

40. Power to remove difficulty.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

41. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for –

- (a) the particulars which the Registers may contain and to be maintained under sub-section (4) of section 3;
- (b) scheme for training and rehabilitation under sub-section (8) of section 3;
- (c) members to be included in the District Level Committee to be constituted under section 20;
- (d) the powers and duties of officers specified under sub-section (2) of section 24;
- (e) the functions to be under taken and powers to be exercised under sub-section (3) of section 24 by the Commissioner; in the matters of supervision, control over and direction to recognized service organization; and
- (f) any other matter which is required to be or may be prescribed .

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done thereunder.

42. Repeal.- The Jaipur Prevention of Begging Act, 1947 is hereby repealed.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

37

Government Central Press, Jaipur.

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, September 14, 2020

No. F. 2(15)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Bhikhariyon ya Nirdhan Vyaktiyon ka Punarvas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN REHABILITATION OF BEGGARS OR INDIGENTS
(AMENDMENT) ACT, 2020**

(Act No. 13 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)

An

Act

to amend the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 36 of 2012.- For the existing section 35 of the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012), the following shall be substituted, namely:-

"35. A Beggar who is mentally ill, how to be dealt with.-Where it appears to the Superintendent of Rehabilitation Home or a Rehabilitation Officer after getting due *prima facie* or cursory medical examination done from a Government Medical Officer that the beggar brought before him for admission to the Rehabilitation Home is mentally unsound, he may, instead of keeping such a person in the Rehabilitation Home take appropriate steps for confining such persons to Psychiatric Hospital as per provisions of Mental Health Act, 1987 (Central Act No. 14 of 1987).".

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।